कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

S.S (YPM)

15 JUN 2018

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, बेलसंड
जिला– सीतामढी

A.D
18.06.18

महाशय,

नगर पंचायत, सीतामढी के वर्ष 2014–15 से 2016–17 के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 722 / 17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

प्रधान सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग ★ बिहार, पटना ★
पत्र पंजी
18 JUN 2018
संख्या 5887

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 1147377/59 **दिनांक–** 11.06.18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, सीतामढी

11/06/18
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

सामाजिक प्रक्षेत्र- I

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या:- 722/17-18

भाग-I

प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम:	नगर पंचायत, बेलसंड
2	कार्यालय प्रधान का नाम एवं पदनाम:	श्री ब्रज किशोर राम
3	लेखा की अवधि:	2014–15 से 2016–17
4	लेखापरीक्षा की अवधि:	07.08.17 से 12.08.17
5	लेखापरीक्षा दल के सदस्य:	श्री राजीव कुमार –2, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री प्राण रंजन , सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी श्री सुनील कुमार–1 , वरीय लेखापरीक्षक
6	निरिक्षण अधिकारी का नाम	श्री शम्भु प्रसाद गुप्ता वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी ,
7	लेखापरीक्षा का क्षेत्र:	माह दिसम्बर 14, अगस्त 15 एवं मार्च 17 की विस्तृत नमूना जांच की गयी।
8	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन में लंबित कंडिकाओं की वर्तमान स्थिति	अनुपलब्ध
9	क्या कार्यालय प्रधान से विचार विमर्श किया गया था?	हॉ

दावा अस्वीकरण प्रमाणपत्र

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन- नगर पंचायत बेलसंड द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/ कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग– II (क)– शून्य

भाग II (ख)

कंडिका सं–1 कम/नहीं जमा (राशि रू. 11.32 लाख)

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली नियम (29)(1) के नियम(1–3) के अनुसार सरकारी राशि प्राप्तकर्ता को दैनिक संग्रह पंजी का संधारण करना था, इसके साथ साथ नियम (22)(1) के अनुसार सरकारी राशि प्राप्तकर्ता को राशि प्राप्ति के दिन या अगले कार्यदिवस को सरकारी कोष मे जमा करना था, परन्तु नगर पंचायत, बेलसण्ड के वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक की अवधि का विभिन्न कर संग्राहकों द्वारा होल्डिंग टैक्स/ सम्पत्ति कर वसूली हेतु प्रयोग किये गये एवं प्रस्तुत किए गए एच रसीदों एवं अन्य प्रकार के प्राप्तियों के लिए प्रयोग की गयी 'एम' रसीदों की जॉच में पाया गया कि कर संग्राहकों/कर्मचारियों के द्वारा नियमानुसार दैनिक संग्रह पंजी का संधारण नहीं किया गया था। इसके साथ साथ विभिन्न 'एच'. एवं 'एम' से अंकेक्षण अवधि 2014–15 से 2016–17 (जुलाई 2017) के दौरान कर संग्राहकों/कर्मचारियों के द्वारा रू. 3431305.00 राशि प्राप्त की गयी। प्राप्त राशि में से रू. 2299042.75 बैंक में जमा पायी गयी एवं राशि 1132262.25 अंकेक्षण की समाप्ति तक नहीं जमा पायी गयी। विदित है कि इनमें से कुछ राशि 2014–15 से भी जमा नहीं की गयी है। (विवरणी परिशिष्ट – I पर)

दैनिक पंजी की अनुपलब्धता के कारण लेखा परीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जमा की गई राशि रू. 2299042.75 वसूली की किन अवधियों से संबंधित है।

अंकेक्षण दल के द्वारा दैनिक संग्रह पंजी का संधारण नही करने के साथ साथ राशि रू. 1132262.25 नहीं जमा होने के कारण से दल को अवगत कराने का अनुरोध किया गया। कार्यालय के द्वारा यह जवाब दिया गया कि वसूली हेतु संबंधित कर्मियों को तीन दिन के अन्दर जमा करने हेतु नोटिस जारी किया जाएगा। जमा नहीं करने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

अतः नगर कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाये जाये ताकि कम/नहीं जमा की गयी राशि रू. 1132262.25 का जमा सुनिश्चित की जा सके एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका सं0 2 मकान कर/सम्पत्ति कर के दर का पुनरीक्षण नहीं करने से हानि (राशि रू. 3.88 लाख)

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 127(7) (III) के तहंत सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का विभिन्न वर्गो के सम्पत्ति के लिए प्रति वर्गफुट किराया प्रति पॉच वर्ष में 15 प्रतिशत से अन्यून बढाया जाएगा।

नगर पंचायत, बेलसंड के कर निर्धारण पंजी एवं प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार वर्ष 2009–10 के पश्चात् सम्पति कर में कोई बढोत्तरी नहीं की गई। उक्त नियमानुसार बढोत्तरी नहीं किए जाने के फलस्वरूप नगर पंचायत को राशि रू. 388224.00 के राजस्व से वंचित रहना पड़ा। विवरण निम्नलिखित है –

वर्ष	मकान कर की कुल मांग	15 प्रतिशत बढोत्तरी के पश्चात मांग	अंतर की राशि
2014–15	862724	992132	129408
2015–16	862724	992132	129408
2016–17	862724	992132	129408
कुल	2588172	2976396	388224

बिहार नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप सम्पति कर के दर का पुनरीक्षण नहीं किये जाने के कारणों से लेखापरीक्षा दल को अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया था।

उपरोक्त आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि बोर्ड में जल्द प्रस्ताव लाकर पुनः निर्धारण किया जाएगा। इस प्रकार कार्यालय ने यह स्वीकार किया कि ससमय होल्डिंग कर का पुर्ननिर्धारण नहीं किया गया।

अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 संशोधित की धारा 127(7) (III) के प्रावधानों पालन नहीं किये जाने कारण नगर पंचायत को 2015–16 से 2016–17 तक न्यूनतम राशि 388224/– की हानि की वसूली के लिए सकारात्मक कदम उठाये जाये एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका सं0–3 बगैर सशक्त स्थायी समिति की स्वीकृति के कर्मी के वेतन का भुगतान किया जाना (राशि रू. 2.04 लाख)

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 36 में प्रावधान किया गया है कि धारा–41 के उपबंधों तथा नगरपालिका प्रशासन में अधिकतम संभावित मितव्ययिता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के अध्यधीन, नगरपालिका में पदाधिकारियों के निम्नलिखित पद होंगे–

(1) (ख) नगर परिषद अथवा नगर परिषद के मामले में :–

(i) नगर कार्यपालक पदाधिकारी,

(ii) नगर वित्त पदाधिकारी,

(iii) नगर अभियंता,

(iv) नगर स्वास्थ्य पदाधिकारी, ;अद्ध नगर सचिव, और

(v) ऐसे अन्य पदाधिकारी जैसा कि इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नामोनिर्दिष्ट किया जाय; परन्तु यह कि राज्य सरकार पूर्वोक्त पदाधिकारियों के पदों की संख्या कम कर सकेगा; परन्तु यह और कि राज्य सरकार पदाधिकारियों के पूर्वोक्त किसी पद को पुनः नामोनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) उपधारा– (1) में उल्लिखित पदाधिकारियों की नियुक्ति या तो नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर ऐसी अवधि के लिए की जायेगी, जैसा कि सशक्त स्थायी समिति आवश्यक समझे।

(3) उपधारा– (2) के उपबंधों के अध्यधीन विभिन्न पदों के लिए, उपधारा– (1) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों की नियुक्ति, जैसा कि विनियम द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय – (क) अधिसूचना के माध्यम से सशक्त स्थायी समिति से परामर्श कर राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से की जायेगी, जो सरकार की सेवा में हो, या रहे हों, अथवा (ख) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से सशक्त स्थायी समिति द्वारा ऐसे पदाधिकारियों के बीच से की जायेगी, जो किसी नगरपालिका की नगरपालिका सेवा में हो या रहे हों, अथवा (ग) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन और राज्य लोकसेवा आयोग के परामर्श से सशक्त स्थायी समिति द्वारा की जायेगी; परन्तु यह कि पूर्वोक्त पदों पर नियुक्ति ऐसी शर्त एवं बंधेज पर और प्रथमत: पाँच वर्षों से अनधिक अवधि के लिए की जायेगी, जैसा कि राज्य सरकार अवधारित करे; परन्तु यह और कि राज्य सरकार सशक्त स्थायी समिति के परामर्श से पूर्वोक्त पदों पर नियुक्ति की अवधि समय समय पर बढ़ा सकेगी।

इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के निम्न धाराओं में पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया गया है–

(4) पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते– (1) धारा– 36 में निर्दिष्ट पदाधिकारियों समेत नगरपालिका के सभी पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को नगरपालिका निधि से वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे।

(2) नगरपालिका अपने पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के लिए पेंशन, उपादान, भविष्य निधि, उत्प्रेरण, लाभांश, ईनाम या शास्ति अधिनियम में विनिर्दिष्ट यथाविहित नियमों, मानकों, पैमानों एवं शर्त्तों के अनुसार उपबंधित कर सकता है।

5. छुट्टी तथा अन्य सेवा शर्त्तें– नगरपालिका के सभी पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी ऐसी छुट्टी तथा अन्य लाभ अथवा वाध्यता साहित जो इस अधिनियम में विशेष रूप से उपबंधित न हो, ऐसी सेवा शर्त्तों के अध्यधीन होंगें, जैसा कि विहित की जाय।

6. नगरपालिकाओं के लिए राज्य सरकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति– इस अधिनियम में अन्यत्र अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार ऐसी अर्हता वाले, जैसा कि इसके द्वारा अवधारित किया जाय, नगर निगम अथवा पनगरपालिका वित्त पदाधिकारी, नगर अभियंता अथवा नगरपालिका स्वास्थ्य पदाधिकारी अथवा ऐसे पदनाम वाले पदाधिकारी जैसा कि राज्य सरकार आवश्यक समझे, किसी सरकारी सेवक की नियुक्ति ऐसी रीति से तथा सेवा की ऐसी शर्त्त एवं बधेज के आधार पर कर सकेगी, जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त अवधारित करे। ऐसे किसी पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ता मद में व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

अधिनियम में किये गये उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि बगैर सशक्त स्थायी समिति के सहमति के राज्य सरकार नगरपालिका निधि से व्यय किये जाने वाले पदाधिकारियों अथवा कर्मियों की नियुक्ति नहीं कर सकेगी तथा अगर राज्य सरकार इस अधिनियम के धारा 41 के अंतर्गत राज्य सरकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है तो ऐसे किसी पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ता मद में व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

लेकिन नगर पंचायत, बेलसंड के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 3343 दिनांक 05.11.2014 द्वारा नगर पंचायत को तीन मैन पावर सप्लाई के विरूध राशि की मॉग की गयी थी। भुगतानों के जॉच में पाया गया कि निदेशक, बुडा के पक्ष में नगर पंचायत, बेलसंड कार्यालय में नियुक्त किये जाने वाले तीन कर्मियों में से एक कर्मी का एक वर्ष के संभावित वेतन को नगरपालिका निधि अंतर्गत बी.आर.जी.एफ की राशि से ड्राफ्ट सं0 809728 दिनांक 19.12.14 से रू0 204673.00 का ड्रॉफ्ट निर्गत किया गया। एक कर्मियों के योगदान का विवरण इस प्रकार है–

पदनाम	योगदान करने वाले कर्मी का नाम सर्वश्री	योगदान की तिथि
लेखापाल	सत्य नारायण साह	05.12.2014

अंकेक्षण दल के द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं को स्पष्ट करने का अनुरोध कार्यालय को किया गया–

1. क्या सशक्त स्थायी समिति द्वारा अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत इन व्यक्तियों की नियुक्ति की सहमति राज्य सरकार को पहले दी गयी थी?
2. क्या नगर पंचायत बेलसंड कार्यालय द्वारा राज्य सरकार से कर्मियों की मॉग की गयी थी?
3. सशक्त स्थायी समिति द्वारा इसकी सहमति दी गयी थी या नहीं अगर नहीं तो रू0 204673.00 का चेक नगर परिषद् कार्यालय द्वारा किस आधार पर निर्गत किया गया?
4. इस नगर पंचायत कार्यालय में उपरोक्त पद स्वीकृत है अथवा नहीं।
5. सशक्त स्थायी समिति द्वारा इस भुगतान के लिए स्वीकृति क़ब दी गयी थी?
6. क्या कर्मियों के योगदान करने के बाद सशक्त स्थायी समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी थी ?

उक्त आपत्ति के संबंध मे नगर परिषद के द्वारा जवाब दिया गया कि इनकी नियुक्ति आउट सोर्सिंग के माध्यम से नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा की गयी थी। राशि का भुगतान राज्य सरकार के निदेशानुसार किया गया था।

कार्यालय के द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि नियुक्ति से पूर्व उक्त नियम का पालन नहीं किया एवं विभाग के द्वारा भेजे गये कर्मियों के भुगतान के लिए राशि की मॉग राज्य सरकार से न करके चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से किया गया एवं उन कर्मियों के लिए किया गया जिसकी मांग राज्य सरकार से कार्यालय के द्वारा नहीं की गयी थी। अतः राशि रू. 204673/– का अनियमित व्यय हुआ।

कंडिका:–4 पंचम राज्य वित्त अंयोग एवं चौदहवीं वित्त आयोग से विभागीय स्तर पर कार्य किया जाना (राशि रू. 31.38 लाख)

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 3557/ 20.11.2014 के द्वारा सभी नगर निकाय को यह आदेश निर्गत किया गया था कि 'कभी कभी पर्व त्योहारों अथवा आकस्मिक आपदा के समय तत्काल कार्य करने की आवश्यकता को देखते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग की राज्य योजनाओं तथा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं 13वीं वित्त आयोग की राशि से ली जाने वाली वैसी सभी योजनाओं जिनकी लागत 7.50 लाख रूपये है का क्रिन्यावयन निविदा अथवा विभागीय रूप से की जा सकती है।'

आगे यह स्पष्ट रूप से निर्देशित है कि विभागीय तौर पर योजनाओं को संपादित कराने का कार्य तकनीकी कर्मचारी यथा कनीय अभियंता के माध्यम से कराया जाएगा। एक समय में अधिक से अधिक दो या तीन योजनाएं ही एक कनीय अभियंता को कार्यान्वयन हेतु दी जाएगी और एक स्कीम के लिए दिए गये एक अग्रिम के सामंजन के बाद ही दूसरा अग्रिम दिया जायेगा।

संबंधित नगर निकाय, कर्मचारियों की उपलब्धता एवं उनके द्वारा किए जा रहे कार्यो को देखते हुए यह निर्णय लेंगें कि उपरोक्त सीमा के अन्तर्गत योजनाओं का कियान्वयन निविदा के माध्यम से कराया जाय अथवा विभागीय रूप से।

बेलसंड नगर पंचायत के द्वारा प्रस्तुत किए गए योजना विवरणी के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि पंचम राज्य वित्त आयोग एवं चौदहवीं वित्त आयोग की योजनाएं विभागीय तौर पर कारवायी गयी एवं राशि रू. 3137572/– का व्यय किया गया। विवरणी इस प्रकार है–

क्रम सं0	मद	योजना सं0	प्राक्कलित राशि	व्यय की गयी राशि	अभिकर्त्ता का नाम
1	पंचम राज्य वित्त आयोग	01/2015–16	527800.00	481358.00	संजय राय, संवेदक
2		02/2015–16	144400.00	122385.00	रामश्रेष्ठ कुमार, टैक्स दरोगा
3	चौदहवीं वित्त आयोग	01/15–16	398200.00	310140.00	रामश्रेष्ट कुमार, टैक्स दरोगा
4		02/15–16	319100.00	267800.00	सत्य नारायण राय, अनुसेवी
5		05/15–16	570000.00	455687.00	
6		03/15–16	154600.00	113845.00	
6		06/15–16	222500.00	159000.00	सुरेन्द्र मेहतर, सफाई कर्मी
7		04/15–16	413900.00	372300.00	रामश्रेष्ट कुमार, टैक्स दरोगा
8		01/16–17	92100.00	75000.00	
9		02/16–17	78095.00	75000.00	
10		03/16–17	85000.00	75000.00	
11		04/16–17	136300.00	130000.00	सुरेन्द्र मेहतर, सफाई कर्मी
12		05/16–17	587300.00	500057.00	
कुल				**3137572.00**	

अंकेक्षण टिप्पणीः–

1. उपर्युक्त दिशानिर्देश के विरूद्ध कराये गये कार्य के कारण से दल को अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया।
2. उक्त संकल्प में यह स्पष्ट रूप से निर्देशित है कि विभागीय तौर पर योजनाओं को संपादित कराने का कार्य तकनीकी कर्मचारी यथा कनीय अभियंता के माध्यम से कराया जाएगा। एक समय में अधिक से अधिक दो या तीन योजनाएं ही एक कनीय अभियंता को कार्यान्वयन हेतु दी जाएगी और एक स्कीम के लिए दिए गये एक अग्रिम के सामंजन के बाद ही दुसरा अग्रिम दिया जायेगा, परन्तु यह पाया गया कि योजना कार्यालय कर्मी, जो तकनीकी कर्मचारी नहीं है को अभिकर्ता बनाया गया है।
3. कार्यालय कर्मी को एक समय में तीन से अधिक योजना आवंटित किए जाने के कारण से दल को अवगत कराने हेतू अनुरोध किया गया।
4. एक ही व्यक्ति को अधिक योजना आवंटित किए जाने से कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होगी इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है।
5. उक्त सभी योजनाओं का पर्व त्योहारों अथवा आकस्मिक आपदा से किस प्रकार संबंध है दल को बताया हेतु अनुरोध किया गया।

उक्त सभी आपत्तियों के संबंध मे नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि बोर्ड के निर्णय के अनुसार कार्य कराया गया है।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि नगर पंचायत के द्वारा राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के विरूद्ध योजनाओं का विभागीय कियान्वयन कराया गया एवं राशि रू. 3137572/– का व्यय किया गया।

अतः अनुरोध है कि नगर आवास एवं विकास विभाग के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ही कार्य का कियान्वयन किया जाय एवं फलाफल से अंकक्षण कार्यालय को अवगत करायी जाय।

कंडिकाः–5 आई.एच.एस.डी.पी मद से उपस्कर की खरीद में अनियमितता (राशि– रू. 2.82 लाख) एवं वैट की कटौती नहीं (राशि– रू. 0.38 लाख)

बेलसंड, नगर पंचायत के द्वारा प्रस्तुत की गयी रोकड़बही एवं अभिश्रव की जांच में पाया गया कि आई.एच.एस. डी.पी मद से कार्यालय में उपयोग के लिए उपस्कर की खरीद की गयी एवं आपूर्तिकर्ता को राशि– रू. 320131/– का भुगतान किया गया। खरीदे गये समान एवं आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गयी राशि की (विवरणी परिशिष्ट II पर संलग्न)

अंकेक्षण टिप्पणी :–

1. बिहार वैट अधिनियम की धारा 40(1) के अनुसार सामानों की राशि का अंतिम भुगतान करते समय वैट की राशि नियमानुसार कटौती करके ही अंतिम भुगतान करना चाहिए, सामान अभिलाषा, सिनेमा रोड, सीतामढ़ी से खरीदा गया, अतः अन्तिम भुगतान करते समय 13.5% वैट की राशि काटकर ही भुगतान किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया, फलस्वरूप राशि रू. 38081/– का अधिक भुगतान किया गया। उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि आपूर्तिकर्ता को वैट की राशि उसके द्वारा संबंधित कार्यालय को जमा किया गया है या नहीं इस संबंध में पत्र लिखा जाएगा। कार्यालय के द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि उक्त नियमानुसार ससमय वैट के राशि की कटौती नहीं की गयी एवं पूर्ण राशि का भुगतान किया गया। अतः अनुरोध है कि अधिक भुगतान की गयी राशि रू. 38081/– की या तो वसूली संबंधित व्यक्तियों से की जाय एवं संबंधित शीर्ष में जमा सुनिश्चित की जाय या आपूर्तिकर्त्ता से जमा का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाय एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।
2. सभी सामानों की खरीद आई.एच.एस.डी.पी. (IHSDP) मद से की गयी है। अतः अंकेक्षण दल को इस बात से अवगत कराया जाय कि आई.एच.एस.डी.पी. (IHSDP) के किन प्रावधानों के तहत कार्यालय उपयोग के लिए सामान उस योजना से व्यय किया गया जो कि किसी खास उद्देश्य के लिए सरकार

के द्वारा चलाया गया था। क्या राशि रू. 320131/– व्यय करने से योजना पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। उक्त आपत्ति के आलोक में कार्यालय के द्वारा यह जवाब दिया गया कि बोर्ड के निर्णय के अनुसार खरीद की गई। कार्यालय के द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि सामान की खरीदारी अनततः आई.एच.एस.डी.पी. (IHSDP) के किन प्रावधानों के अनुरूप की गयी। इसका जवाब नहीं दिया गया। अतः राशि रू. 320131/– का अनियमित व्यय किया गया।

3. उक्त व्यय की विवरणी अभिश्रव एवं रोकड़बही से प्राप्त की गयी है। अंकेक्षण दल को उक्त व्यय से संबंधित संचिका अविलम्ब प्रस्तुत किया जाए ताकि इस बात की जांच की जा सके कि सरकारी कार्यालय में सामानों की खरीद बिहार वित्त नियमावली मे उल्लेखित विभिन्न प्रावधानों के तहत की गयी है या नहीं। उक्त आपत्ति के आलोक में कार्यालय के द्वारा यह जवाब दिया गया कि बेलसण्ड नगर थाना से संचिका उपलब्ध होने पर अगले अंकक्षेण दल को उपलब्ध कर दिया जाएगा। अतः अनुरोध है कि संचिका प्राप्त होने पर अगले अंकेक्षण दल को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
4. सभी समानों की भंडार पंजी एवं वितरण पंजी अंकेक्षण दल के समक्ष उपलब्ध कराया जाय ताकि यह पता चल सके कि खरीदे गए समानों का उपयोग कार्यालय के हित में किया जा रहा है। भंडार पंजी एवं वितरण पजी की अनुपलब्धता के कारण सामानों का क्रय संदेहास्पद एवं अनुपयोगी प्रतीत होता है। अंकेक्षण की समाप्ति तक न तो भंडार पंजी उपलब्ध कराया गया और न ही कार्यालय के द्वारा आपत्ति का कोई जवाब दिया गया।
5. रोकड़बही में चेक संख्या अंकित नहीं की गयी। इसके कारण यह पता नहीं चल सका कि किस चेक से या नगद राशि का भुगतान किया गया। अतः भुगतान का चेक संख्या दल को उपलब्ध कराया जाय। उक्त आपत्ति के आलोक में कार्यालय के द्वारा यह जवाब दिया गया कि भूलवश अंकित नहीं किया गया है। इसको अंकित कर दिया जाएगा। अतः अनुरोध है कि रोकड़बही में भुगतान का माध्यम यथा चेक संख्या या नगद का उल्लेख किया जाय एवं अगले लेखा परीक्षा के समक्ष रोकड़बही उपस्थापित किया जाय।

कंडिकाः– 6 तेरहवीं वित्त आयोग मद से उपस्कर की खरीद में अनियमितताएं (राशि– रू. 0.83 लाख) एवं वैट की कटौती नहीं (राशि– रू. 0.11 लाख)

बेलसंड, नगर पंचायत के द्वारा प्रस्तुत की गयी रोकड़बही एवं अभिश्रव की जांच में पाया गया कि आई.एच.एस. डी.पी मद से कार्यालय में उपयोग के लिए उपस्कर की खरीद की गयी एवं आपूर्तिकर्ता को राशि– रू. 94546/– का भुगतान किया गया। खरीदे गये सामान एवं आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गयी राशि की विवरणी इस प्रकार है।

क्रम सं0	सामान का नाम	संख्या	दर प्रतिशत	वैट की दर प्रतिशत में	वैट की राशि	कुल भुगतान की गयी राशि	दुकान का नाम
1	ऑफिस टेबुल	01	21000/–	13.5	2835/–	23835/–	अभिलाषा, सिनेमा रोड सीतामढ़ी
2	गोदरेज आलमीरा	01	21500/–		2903/–	24403/–	
3	गोदरेज आलमीरा	02	29800/–		4023/–	33823/–	
4	कम्युटर टेबुल	01	11000/–		1485/–	12485/–	
			83300/–		11246/–	94546/–	

अंकेक्षण टिप्पणी

1. बिहार वैट अधिनियम की धारा 40(1) के अनुसार सामानों की राशि का अंतिम भुगतान करते समय वैट की राशि नियमानुसार कटौती करके ही अंतिम भुगतान करना चाहिए, सामान अभिलाषा, सिनेमा रोड,

सीतामढ़ी से खरीदा गया, अतः अन्तिम भुगतान करते समय 13.5% वैट की राशि काटकर ही भुगतान किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया, फलस्वरूप राशि रू. 11246/– का अधिक भुगतान किया गया। उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि आपूर्तिकर्ता को वैट की राशि उसके द्वारा संबंधित कार्यालय को जमा किया गया है या नहीं इस संबंध में पत्र लिखा जाएगा। कार्यालय के द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि उक्त नियमानुसार ससमय वैट के राशि की कटौती नहीं की गयी एवं पूर्ण राशि का भुगतान किया गया। इस संबंध में कार्रवाई के परिणाम से अवगत कराया जाय।

2. सभी सामानों की खरीद तेरहवीं वित्त आयोग मद से की गयी है। अतः अंकेक्षण दल को इस बात से अवगत कराया जाय कि तेरहवीं वित्त आयोग के किन प्रावधानों के तहत कार्यालय उपयोग के लिए सामान उस योजना से व्यय किया गया जो कि किसी खास उद्देष्य के लिए सरकार के द्वारा चलाया गया था। क्या राशि रू. 94546/– व्यय करने से योजमा पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। उक्त आपत्ति के आलोक में कार्यालय के द्वारा यह जवाब दिया गया कि बोर्ड के निर्णय के अनुसार खरीद की गई। कार्यालय के द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि सामान की खरीदारी अन्ततः तेरहवीं वित्त आयोग के किन प्रावधानों के अनुरूप की गयी। यह जवाब नहीं दिया गया। अतः राशि रू. 94546/– का अनियमित व्यय किया गया।
3. उक्त व्यय की विवरणी अभिश्रव एवं रोकड़बही से प्राप्त की गयी है। अंकेक्षण दल को उक्त व्यय से संबंधित संचिका अविलम्ब प्रस्तुत किया जाए ताकि इस बात की जांच की जा सके कि सरकारी कार्यालय में सामानों की खरीद बिहार वित्त नियमावली में उल्लखित विभिन्न प्रावधानों के तहत की गयी है या नहीं। उक्त आपत्ति के आलोक में कार्यालय के द्वारा यह जवाब दिया गया कि संचिका अगले अंकक्षेण दल को उपलब्ध कर दिया जाएगा। अतः अनुरोध है कि संचिका प्राप्त होन पर अगले अंकेक्षण दल को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
4. सभी सामानों की भंडार पंजी एवं वितरण पंजी अंकेक्षण दल के समक्ष उपलब्ध कराया जाय ताकि यह पता चल सके कि खरीदे गए सामानों का उपयोग कार्यालय के हित में किया जा रहा है। भंडार पंजी एवं वितरण पजी की अनुपलब्धता के कारण सामानों का क्रय संदेहास्पद एवं अनुपयोगी प्रतीत होता है। अंकेक्षण की समाप्ति तक न तो भंडार पंजी उपलब्ध कराया गया और न ही कार्यालय के द्वारा आपत्ति का कोई जवाब दिया गया।
5. रोकड़बही में चेक संख्या अंकित नहीं किया गया है। इसके कारण यह पता नहीं चल सका कि किस चेक से या नगद राशि का भुगतान किया गया। अतः भुगतान का चेक संख्या दल को उपलब्ध करायी जाय। उक्त आपत्ति के आलोक में कार्यालय के द्वारा यह जवाब दिया गया कि भूलवश अंकित नहीं किया गया है। इसको अंकित कर दिया जाएगा। अतः अनुरोध है कि रोकड़बही में भुगतान का माध्यम यथा चेक संख्या या नगद का उल्लेख किया जाय एवं अगले लेखा परीक्षा के समक्ष रोकड़बही उपस्थापित किया जाय।

कंडिका सं0–7 अग्रिम का समायोजन नहीं (राशि रू. 76.00 लाख)

(क) नगर पंचायत, बेलसंड के वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक के अंग्रिम पंजी के जॉच में पाया गया कि विभिन्न योजनाओं में दी गई अग्रिम की राशि रू 6942005 का समायोजन/वसूली नहीं की गई। (विवरण परिशिष्ट–III पर)

दी गई अग्रिम की राशि रू 6942005 का समायोजन /वसूली नहीं किये जाने के कारणो से लेखापरीक्षा दल को अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया ।

उक्त आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि अग्रिम की राशि रू. 18.57 लाख समायोजन हेतु संबंधित कर्मी को नोटिस निर्गत किया जाएगा। ऐसा नही करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ समाजिक सुरक्षा पेंशन की अग्रिम राशि रू. 50.58 लाख के समायोजन हेतु संबंधित कर्मी को नोटिस निर्गत किया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि अग्रिम की राशि रू. 6942005 के समायोजन/वसूली हेतु ठोस एवं सकारात्मक कदम उठाए जाए एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत करायी जाय।

(ख) अग्रिम का समायोजन नहीं (राशि रू. 6.58 लाख)

नगर पंचायत बेलसंड के वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक के अंग्रिम पंजी के जॉच में पाया गया कि विभिन्न कार्यो में दी गई अग्रिम की राशि रू 1873500 में से 1215368 रू का समायोजन किया गया। शेष अग्रिम की राशि 658132 रू का समायोजन /वसूली नहीं की गई। (विवरण परिशिष्ट– IV पर)

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. दी गई अग्रिम की राशि रू 658132 का समायोजन/वसूली नहीं किये जाने के कारणो से लेखापरीक्षा दल को अवगत कराने हेतू अनुरोध किया गया ।
2. वर्ष 2014–15 से 2016–17 में समायेाजित किये गए अग्रिम 1215368 रू का अभिश्रव लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

   उपरोक्त आपत्तियों का नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि–

   1. अग्रिम राशि 4,34,847 रू0 समायोजन एवं वसूली हेतु संबंधित कर्मी को नोटिस निर्गत किया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगा।
   2. समायोजित किये गये राशि 6,98,653 रू0 का अभिश्रव अगले अंकेक्षण दल को उपलब्ध करा दिया जाएगा। (परिशिष्ट के क्र सं 1 से 17 के संदर्भ में)
   3. अग्रिम की राशि 3,73,286 रू0 समायोजन एवं वसूली हेतु संबंधित कर्मी को नोटिस निर्गत किया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
   4. समायोजित किये गये राशि का अभिश्रव अगले अंकक्षेण दल को उपलब्ध कर दिया जाएगा। अग्रिम की राशि 3,73,286 रू0 समायोजन एवं वसूली हेतु संबंधित कर्मी को नोटिस निर्गत किया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
   5. समायोजित किये गये राशि का अभिश्रव अगले अंकक्षेण दल को उपलब्ध कर दिया जाएगा। (परिशिष्ट के क्र सं 18 से 25 के संदर्भ में)

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि अग्रिम की रू 658132/-- के समायोजन/वसूली हेतु ठोस एवं सकारात्मक कदम उठाये जाए एवं परिणाम से अवगत कराया जाय। इसके साथ ही साथ अगले लेखापरीक्षा दल के समक्ष राशि रू. 1215368/– के समायोजित अग्रिम का अभिश्रव प्रस्तुत किया जाय।

कंडिका सं0– 8 पार्षद भत्ता हेतु निकासी की गई अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं (राशि रू. 0.68 लाख)

मुख्य पार्षद /उपमुख्य पार्षद /पार्षदों के भत्तें का भुगतान हेतू श्री रामश्रेष्ठ कुमार टैक्स दरोगा को कुल राशि रू. 551800/– दी गई थी, किन्तु पार्षद के मासिक नियत भत्ता पंजी एवं संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि मुख्य पार्षद/उपमुख्य पार्षद/पार्षदों को कुल राशि रू. 484000/– का भुगतान किया गया। अवशेष राशि 67800/– लम्बी अवधि से श्री रामश्रेष्ट कुमार टैक्स दरोगा के पास पडा हुई है। विवरण निम्नलिखित है–

क सं	मुख्य पार्षद /उप मुख्य पार्षद /पार्षदों के भत्तें का भुगतान हेतु प्राप्त की गइ राशि रू	रोकड बही पृष्ठ सं	तिथि	प्राप्त की कुल राशि	मासिक नियत भत्ता पंजी का पृष्ठं सं	भुगतान की गई राशि	अवशेष राशि
1	130800	201	02.03.15	551800	4	42000+12000+158000=212000	
2	421000	221	02.11.16		5	209000	
संचिका में संलग्न विपत्र के अनुसार						63000	
कुल	551800					484000	67800

अवशेष राशि रू. 67800/– वसूल कर नगर पंचायत के संबंधित शीर्ष में जमा कर लेखापरीक्षा को अवगत कराने हेतु अनुरोध किये जाने पर नगर पंचायत के द्वारा यह जवाब दिया गया कि राशि रू. 67,800/– संबंधित कर्मी से वसूल की जाएगी।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि जवाब के अनुरूप कार्रवाई कर फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका सं–9 सक्शन मशीन एवं वैपर लाईट के क्रय में त्रुटि (राशि रू. 9.69 लाख)

सक्शन मशीन एवं वैपर लाईट के क्रय संबंधित संचिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि एक सेक्शन मशीन एवं 100 अद्द वैपर लाईट चतुर्थ राज्य वित्त के असंबद्ध अनुदान से क्रय करने का निर्णय लिया गया। निविदा आमंत्रण सूचना स0 1/14–15 के माध्यम से सक्शन मशीन एवं वैपर लाईट क्रय हेतु विज्ञापन दिया गया। निविदा प्रभात खबर एवं दैनिक जागरण समाचार पत्र में दिनांक 17 अगस्त 2014 को प्रकाशित किया गया। प्रकाशित सामग्री का विवरण निम्नलिखित है –

क्र सं	सामग्री का विवरण	संख्या
1	सेक्शन मशीन	1
2	150 वाट भैपर लाईट	100 अदद (सोडियम)

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 131द(VII) के अनुसार वांछित सामग्री की विशिष्टतायें साफ साफ बिना किसी अस्पष्टता के वर्णित होना चाहिए ताकि बोलीकर्ता अर्थपूर्ण बोली भेज सके। पर्याप्त संख्या में बोलियॉ सुनिश्चित करने के लिए जहॉ तक सम्भव हो सके विशिष्टियां सामान्य एवं व्यापकता आधारित होनी चाहिए। जबकि उपरोक्त विज्ञापन में सक्शन मशीन की क्षमता का उल्लेख नहीं किया गया। साथ ही विज्ञापन भैपर लाईट फिटिंग सहित था या केवल बल्ब का यह स्पष्ट नहीं किया गया था। निविदा में फिटिंग सहित भैपर लाईट के दरों पर विचार किया गया था। साथ ही तकनीकी बीड के लिए किन– किन कागजातों की आवश्यकता है यह विस्तृत रूप से उल्लेखित नहीं किया गया था जबकि तुलनात्मक विवरणी में उन कागजातों को शामिल किया गया था।

पुनः उक्त निविदा में चार निविदादाता ने भाग लिया। निविदा दाताओं द्वारा समर्पित कागजात संचिका में संलग्न नहीं थे। जिसके कारण संचिका में उपलब्ध तुलनात्मक विवरणी के तथ्यों की सत्यता की जॉच लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकी। तकनीकी तुलनात्मक विवरणी में चयनित आपूर्तिकर्ता द्वारा आई एस ओ, वारंटी/गारंटी /टर्नओवर प्रमाण पत्र/ कम्पनी का प्राधिकृत होने से संबधित कम्पनी का नाम आदि नहीं दिया गया था। साथ ही तकनीकी निविदा में केवल रीता इटरप्राइजेज पटना को अनुमति दी गई। तकनीकी निविदा में अन्य तीन निविदादाता को अनुमति नहीं दी गई, लेकिन वित्तीय बीड में चारों निविदादाता के दरों पर विचार किया गया जो नियमत सही नहीं था। इस प्रकार यह एकल निविदा का मामला प्रतीत होता है। नियमित निविदा को रद्द कर पुर्ननिविदा आमंत्रित की जानी चाहिए था, जो नहीं किया गया।

रीता इन्टरप्राइजेज पटना को पत्रांक 196 दिनांक 01.09.14 के द्वारा 150 वाट सोडियम भैपर लाइट 50 संख्या में तथा सेक्शन मशीन 3500 लीटर के लिए आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया। पुनः रीता इटरप्राइजेज पटना को पत्रांक 169 दिनांक 19.08.15 के द्वारा 150 वाट सोडियम भैपर लाइट 60 संख्या में आपूर्ति हेतु आदेश निर्गत किया गया। अभिश्रव का विवरण एवं भुगतान का विवरण इस प्रकार है–

क्र सं	विपत्र सं /तिथि	दर	वैपर लाईट सिस्टम	मुल्य	वैट की राशि	वैट सहित कुल मूल्य (रू)	भुगतान का विवरण		
1	2	3	4	3x4=5	6	5+6	चेक सं एवं तिथि	राशि	5 प्रतिशत सुरक्षित जमा की कटौती
1	08 / 2014–2015 03.09.14	9714.28	50	485714	24286	510000	A280299/ 08.09.14 4th FC	484500	25500
2	RSE/15-16/010 27.08.15	9714.28	50	485714	24286	510000	064372/ 02.09.1 XIIth FC	484500	25500
A	कुल	19375	104	971428	48572	1020000		969000	51000
			सेक्शन मशीन						
B	014 / 2014–15 तिथि अंकित नहीं	814977.97	1	814977.97	110022.23	925000	084923/ 08.04.15 4th FC	878750	46250
A+B				1786405.97	158594.23	1945000			

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. एक सेक्शन मशीन एवं 100 अद्द वैपर लाईट चतुर्थ राज्य वित्त के असंबद्ध अनुदान से क्रय करने का नगरपंचायत बोर्ड या सशक्त स्थायी समिति का निर्णय संबंधित साक्ष्य लेखापरीक्षा में प्रस्तुत करने हेतू अनुरोध किया गया लेकिन संबंधित साक्ष्य लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध नहीं कराया गया।
2. बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 131द(VII) के अनुसार विज्ञापन में विषिष्टियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किये जाने के कारण से लेखापरीक्षा को अवगत कराने हेतू अनुरोध किया गया था, परन्तु लेखापरीक्षा दल को अवगत नहीं कराया गया।
3. एकल निविदा होने की स्थिति में पुर्ननिविदा नहीं किये जाने के कारण से लेखापरीक्षा को अवगत कराने हेतु अनुरोध का किया गया, परन्तु कारण से अवगत नहीं कराया गया।
4. आपूर्तिकर्ता द्वारा फार्म सी III नहीं दिये जाने के बावजूद नियमत वैट की राशि रू. 158600.23 की कटौती के पश्चात् ही अंतिमं भुगतान किया जाना चाहिए था, परन्तु इस संबंध में कोई जवाब कार्यालय के द्वारा नहीं दिया गया।
5. संचिका के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त से भुगतान किया जाना था जबकि रू. 484500 / – का भुगतान तेरहवीं वित्त किया गया। इसका कारण स्पष्ट नहीं किया गया।
6. रीता इटरप्राइजेज, पटना को पत्रांक 169 दिनांक 19.08.15 के द्वारा 150 वाट सोडियम भैपर लाइट 60 संख्या में आपूर्ति हेतु आदेश निर्गत किया गया। किन्तु आपूर्ति 50 संख्या में की गई। उसके बाद कोई आपूर्ति नहीं हुई। इस प्रकार नगर पंचायत को 50 लाईट में भी आवश्यकता की पूर्ति हो गयी। इससे स्वतः स्पष्ट है कि नगर पंचायत ने लाइट खरीदने से पहले आवश्यकता का निर्धारण / सर्वे नहीं किया था।
7. लाईट की आपूर्ति के पश्चात आपूर्तिकर्ता से प्राप्ति एवं भंडार पंजी में दर्ज करने से संबंधित कोई साक्ष्य संचिका में संलग्न नहीं था। इसे लेखापरीक्षा में प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक भंडार पंजी दल को उपलब्ध नहीं किया गया।

   उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में नगर पंचायंत द्वारा जवाब दिया गया कि–

   1. बोर्ड / सशक्त स्थायी समिति का निर्णय संबंधी साक्ष्य बेलसण्ड, नगर थाना में जमा है। थाना से प्राप्त होने पर अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

2. जानकारी के अभाव मे ध्यान नही रखा गया। भविष्य में रखा जाएगा।
3. संबंधित एजेंसी को भुगतान किये गये वैट की राशि उनके द्वारा संबंधित कार्यालय को जमा किया गया है या नही इस संबंध में पत्र लिखा जाएगा। जमा नहीं किये जाने की स्थिति में जमा करने हेतु पत्र भेजा जाएगा।
4. तेरहवीं वित्त से क्रय करने का प्रावधान था। इस कारण क्रय किया गया।
5. आवश्यकतानुसार लाईट क्रय की गई।
6. भण्डार पंजी तैयार नहीं किया गया था, 2017–18 में तैयार किया जा रहा है।

अतः नगर कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि अंकेक्षण दल को उपलब्ध कराये गये जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका स–10 लैपटॉप/टेबलेट क्रय में त्रुटि एवं वैट की कटौती नहीं (राशि रू. 0.22 लाख)

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के पत्रांक 114 दि0 09.01.15 के द्वारा 3 टैबलेट क्रय करने हेतू राशि रू. 150000/– (कार्यपालक पदाधिकारी, सभापति, नगर प्रबंधक के लिए), महिला पार्षदों के लिए 6 टेबलेट/लैपटॉप क्रय हेतु राशि रू. 180000/– का आवंटन पत्रांक 136 दिनांक 14.02.15 तथा पुरूष पार्षदों के लिए 6 टेबलेट/लैपटॉप क्रय हेतु राशि रू. 180000/– का आवंटन पत्रांक 4334 दि. 22.08.15 द्वारा आवंटन प्राप्त हुआ। अर्थात नगर आवास एवं विकास विभाग के द्वारा कुल 3 टैबलेट एवं 12 टेबलेट/लैपटॉप क्रय हेतु राशि रू. 510000/– नगर पंचायत, बेलसंड को उपलब्ध करायी गयी। उपलब्ध संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि आपूर्तिकर्त्ता द्वारा निर्गत विपत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया।

कम सं	आपूर्तिकर्ता इनवाइस सं /तिथि	दर	लैपटॉप/ टैबलेट की सं	मूल्य	वैट की राशि	वैट सहित कुल मूल्य (रू)	भुगतान का विवरण		
1	2	3	4	3x4=5	6	5+6	चेक सं एव तिथि	राशि	एजेंसी का नाम
1	1512/ 03.02.15	43714.29	3	131142. 87	6557	137699	403191/ 03.02.15	150000	ग्राफिक्स ट्रेड, पटना
	टेबलेट केस	5374.45	3	16123	2176	18300			
2	31/07.04.15	32664	1	32664	1633	34297			विनायक कम्प्युटर, सीतामढी
3	29/04.04.15	27524	3	82572	4128.60	86701			
4	22/01.04.15	27524	3	82572	4128.60	86701			
5	26/02.4.15	27524	3	82572	4128.60	86701			
	कुल				22752	450399			

उपरोक्त टेबल में कम सं 1 पर उल्लेखित विवरण कार्यपालक पदाधिकारी, सभापति, नगर प्रबंधक के लिए टेबलेट के क्रय से संबंधित है। संबंधित संचिका में मात्र एक आपूर्तिकर्ता का कोटेशन पाया गया, जबकि बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 131झ के अनुसार कम से कम तीन कोटेशन प्राप्त करना चाहिए था। इससे स्वतः स्पष्ट है कि उक्त नियम का पालन नहीं किया गया।

पुन कम सं0 2 से 5 तक उल्लेखित विवरण 6 महिला पार्षदों के लिए आवंटित राशि 1.80 लाख एवं चार कार्यालय कार्य हेतू राजस्व मद से क्रय किये जाने से संबंधित है। इससे संबंधित संचिका में क्रय करने हेतू तीन कोटेशन 1. कम्प्युटर हब, सीतामढी 2 नेटवर्क इंफोटेक डूमरा, सीतामढी 3. ग्राफिक ट्रेड से प्राप्त किये गये। चयनित आपूर्तिकर्ता का कोई कोटेशन संचिका में संलग्न नहीं था। ग्राफिक ट्रेड द्वारा राशि रू. 22699/– का दर एच पी लैपटाप 2 जी बी रैम, 500 जी बी हार्ड डिस्क, विन्डो 8.1, 14 इच स्क्रीन प्रस्तावित था। बावजूद इसके विनायक कम्प्यूटर से अधिक दरो पर बिना कोटेशन प्राप्त किये एवं दर की तुलना किये ही क्रय किया गया।

क्रम सं 2 से 5 तक से संबंधित संचिका मे उपलब्ध अभिश्रव में लैपटाप के विशिष्टियों का उल्लेख नहीं था। क्रम सं 2 से 5 तक के संबंध में श्री धर्मेन्द्र कुमार कम्प्यूटर आपरेटर के द्वारा राशि रू. 300000/– अग्रिम प्राप्त कर लैपटाप के क्रय में 294400/– का व्यय किया गया। शेष रू. 5600/– के अलावा रू. 22699/– की दर से क्रय करने से रू. 56060 (294400– 238340) रू की अतिरिक्त व्यय से बचा जा सकता था।

क्रम सं 2 से 5 के अभिश्रवों के राशि का भुगतान श्री धर्मेन्द्र कुमार द्वारा प्राप्त अग्रिम सें नकद भुगतान किया गया।

पुनः संचिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुरूष पार्षदों के लिए 6 और कार्यालय कार्य हेतु 2 लैपटॉप क्रय करने हेतु श्री धर्मेन्द्र कुमार, कम्प्यूटर आपरेटर को रू. 240000/– (चेक सं 64374 तिथि 01.10.15 मद – तेरहवीं वित्त) का अग्रिम दिनांक 01.10.15 को दिया गया। लेकिन इस अग्रिम का समायोजन एवं 8 लैपटॉप का क्रय किया गया या नहीं इस संबंध में संचिका में कोई जानकारी दर्ज नहीं पाया गया।

क्रय किये टैबलेट एवं लैपटॉप के भंडार पंजी में दर्ज करने एवं जिस उद्देश्य से लैपटाप की खरीदारी की गई उन्हें वितरित करने संबंधित जानकारी संचिका में उपलब्ध नहीं पाया गया।

उपरोक्त संचिकाओं में आपूर्तिकर्ता द्वारा दी जाने वाली फार्म सी III संलग्न नहीं था एवं वैट की राशि रू. 22019/– कटौती नहीं की गई।

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. आपूर्तिकर्त्ता से वैट की राशि रू. 22019/– की कटौती नही की गई जबकि आपूर्तिकर्ता द्वारा फार्म सी III जमा नहीं किया गया था। वैट की राशि रू. 22019/– के कटौती नहीं किये जाने का कारणों से लेखापरीक्षा दल को अवगत कराने हेतू अनुरोध किया गया था। कार्यालय के द्वारा यह जवाब दिया गया कि आपूर्तिकर्ता को वैट की राशि उनके द्वारा संबंधित कार्यालय को जमा किया गया है या नही इस संबंध में पत्र लिखा जाएगा। कार्यालय के द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि उक्त नियमानुसार ससमय वैट के राशि की कटौती नहीं की गयी एवं पूर्ण राशि का भुगतान किया गया।
2. क्रय किये टैबलेट एवं लैपटाप के भंडार पंजी में दर्ज करने एवं जिस उद्देश्य से लैपटाप की खरीदगी की गई उन्हें वितरित करने संबंधित साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराने हेतू अनुरोध किया गया था। उक्त आपत्ति के आलोक में कार्यालय के द्वारा यह जवाब दिया गया कि छः महिला पार्षद को वितरित किया गया है। इसका साक्ष्य संलग्न है। कार्यालय के द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि महिला पार्षद एवं अन्य को वितरित करने साक्ष्य जवाब के साथ संलग्न नहीं किया गया था। इसे अगले लेखापरीक्षा दल के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।
3. ग्राफिक ट्रेड द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दर राशि रू. 22699/– से क्रय नहीं किये जाने के कारण से लेखा परीक्षा दल को अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया था। साथ ही नियम विरूद्ध राशि रू. 10000/– से अधिक नकद भुगतान करने के कारण से अवगत कराने हेतू अनुरोध किया गया था। कार्यालय के द्वारा यह जवाब दिया गया कि लैपटॉप की विविधता को देखते हुए क्रय किया गया है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि विविधता के उपयोग संबंधित कोई विवरण नहीं दिया गया एवं अधिक दर पर क्रय किया गया। नकद राशि भुगतान के किये जाने का जवाब नहीं दिया गया।
4. श्री धर्मेन्द्र कुमार, कम्प्यूटर आपरेटर को लगभग दो वर्ष पूर्व अग्रिम दी गयी थी। अग्रिम की राशि रू. 240000/– का समायोजन किया गया अथवा नहीं के आलोक में कार्यालय के द्वारा यह जवाब दिया गया कि अग्रिम के आलोक मे सामानों का क्रय कर ली गई थी, परन्तु प्रस्तुत रोकड़बही एवं अग्रिम पंजी में उक्त राशि का समायोजन नहीं पाया गया। अतः अनुरोध है कि अभिलेखों का समुचित संधारण कर अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना सुनिष्चित किया जाय।
5. संचिका में संलग्न कोटेशन/विपत्र पर विशिष्टियों का विस्तृत विवरण नहीं पाया गया। वारंटी का भी उल्लेख नहीं था। कार्यालय के द्वारा यह जवाब दिया गया कि भुलवश बिना विशिष्टियों के कोटेशन पर विचार किया गया एवं राशि का भुगतान किया गया। भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।

6. तीन टैबलेट के क्रय हेतु रू. 131700 का भुगतान बी आर जी एफ के मद से किया गया जबकि इसक लिए राज्य सरकार से आवंटन प्राप्त था। इस विचलन का कारण स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया। आपत्ति के आलोक में कार्यालय के द्वारा यह जवाब दिया गया कि विचलन की राशि का समायोजन करा लिया गया है। कार्यालय के द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि समायोजन अंकेक्षण दल के समक्ष उपस्थित नहीं किया गया था। अतः अनुरोध है कि अगले अंकेक्षण दल के समक्ष जवाब के अनुसार समायोजन प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाय।
7. नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के पत्रांक 114 दि0 09.01.15 के द्वारा 3 टैबलेट क्रय करने हेतु रू 150000 (कार्यपालक पदाधिकारी, सभापति, नगर प्रबंधक के लिए), महिला पार्षदों के लिए 6 टेबलेट/लैपटॉप क्रय हेतु रू. 180000/– का आवंटन पत्रांक 136 दि. 14.02.15 तथा पुरूष पार्षदों के लिए 6 टेबलेट/लैपटॉप क्रय हेतु रू. 180000/– का आवंटन पत्रांक 4334 दि. 22.08.15 द्वारा आवंटन प्राप्त हुआ। उपरोक्त उल्लेखित आवंटन के विरूद्ध राज्य सरकार को भेजे गए उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। आपत्ति के आलोक में कार्यालय के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

   उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 394 दिनांक 13.1.15 के द्वारा टैबलेट के लिए जारी आवंटन राज्यादेश के संबंध में दिये गए विशिष्टियों में टेबलेट केस का अलग से कोई उल्लेख नहीं किया गया था बावजूद इसके इस मद पर राशि रू. 18300/– का व्यय किया गया। इस व्यय से बचा जा सकता था। संबंधित पत्र मे केवल विशिष्टता का उल्लेख था। आपत्ति के आलोक में कार्यालय के द्वारा यह जवाब दिया गया कि संबंधित पत्र मे केवल विशिष्टता का उल्लेख था। अतः राशि रू. 18300/– का अनियमित व्यय किया गया।

कंडिका सं–11 आयकर की कटौती नहीं करने से अधिक भुगतान राशि रू. 0.03 लाख

प्रस्तुत की गयी रोकड़बही में तीन भुगतान गाड़ी के भाड़े पर दिखाया गया।

उक्त भुगतान में से सिर्फ रू. 15000/– के भुगतान का अभिश्रव एवं संचिका अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

केन्द्र या राज्य सरकार या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत गठित कोई सोसायटी अगर किसी व्यक्ति या संस्था को यात्री या सामान ढोने के लिए राशि का भुगतान करता है तो आयकर अधिनियम–1961 की धारा 194 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार आयकर की कटौती करने के बाद ही अन्तिम भुगतान किया जाएगा।

अगर पैन संख्या यात्री या सामान ढोने वाले व्यक्ति के नाम पर निर्गत है तो कुल भुगतान का 1 प्रतिशत, अगर संस्था के नाम पर निर्गत है तो 2 प्रतिशत परन्तु उस व्यक्ति या संस्था ने कांट्रैक्ट के समय या भुगतान के पहले पैन संख्या कार्यालय को समर्पित नहीं किया है तो कुल भुगतान का 20 प्रतिशत कटौती करने के बाद ही अंतिम भुगतान किया जाना चाहिए।

नगर पंचायत, बेलसंड कार्यालय के लेखाओं की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कार्यालय के द्वारा भाड़े पर ली गयी गाड़ी सं. BR-06-PA-4145 पर राशि रू. 15000/– का व्यय किया गया। विवरणी इस प्रकार है–

क्रम सं0	अवधि	राशि
1	26.12.2016	3000.00
2	28.11.2016	3000.00
3	23.01.2017	3000.00
4	24.10.2016	3000.00
5	10.12.16 एवं 11.12.16	2000.00
6	12.12.16	1000.00
कुल		15000.00

अंकेक्षण टिप्पणीः–

1. प्रस्तुत की गयी संचिकाओं में वाहन मालिक द्वारा पैन सं0 की छाया प्रति संलग्न नहीं पायी गयी। इस परिस्थिति में आयकर अधिनियम की धारा 194 के अन्तर्गत कुल भुगतान का 20 प्रतिशत की कटौती अथार्त राशि रू. 3000/– करके ही अंतिम भुगतान करना था, परन्तु संचिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि अंतिम भुगतान करते वक्त नियमानुसार कटौती नहीं की गयी थी। कटौती नहीं करने के कारण से दल को अवगत कराने का अनुरोध किया गया। कार्यालय के द्वारा यह जवाब दिया गया कि भूलवश आयकर की कटौती नही की गई है। भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। सांथ ही प्रस्तुत दो संचिका का जॉच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
   कार्यालय के द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि नियनानुसार राशि की कटौती नहीं की गयी एवं पूर्ण राशि का भुगतान किया गया।
   अतः कटौती नहीं किए जाने के फलस्वरूप अधिक भुगतान की राशि रू. 3000/– संबंधित व्यक्तियों से वसूलनीय है। इसके साथ साथ यह भी अनुरोध है कि अंकेक्षण दल के समक्ष नहीं प्रस्तुत की गयी दोनों संचिकाओं की जांच उक्त नियम के आलोक में की जाय एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका सं–12 विद्युत विपत्र पर डी पी एस का भुगतान (राशि रू. 0.09 लाख)

नगर पंचायत, बेलसंड द्वारा 2014–15 से 2016–17 के दौरान निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया

क्र सं	विपत्र माह / बिल आई डी	उर्जा बकाया	विलंब अधिभार	चालू माह का उर्जा शुल्क	चालू माह का विलंब अधिभार	अन्य शुल्क	कुल राशि (छूट पश्चात)	विपत्र पर दर्ज उपभोग किये गये विद्युत इकाई का मीटर रीडिंग विवरण	भुगतान का विवरण	
									चेक सं /तिथि	राशि
1	02/2016 ST293016	0	0	0	0	0	154000	00	A823955/ 15.09.16	267300
2	07/2016 ST293016	88000	1980	0	1320	22000	113300	00		
3	07/2016 ST293011	11865.89	223.90	787.50	186.65	1184.79	14249	–3508	A823954/ 15.09.16	29591
4	02/2016 ST293011	00	00	8662	00	6679.75	15342	0		
5	01/2017 ST293016	126170	3578.85	00	1892.55	23320	154961.40	0	A823983/ 15.09.17	157204
		226035.89	5782.75	9449.5	3399.2	53184.54	451852..40			454095

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विद्युत विपत्र पर कुल रू 9181.95 (5782.75+3399.2) विलंब अधिभार के रूप में भुगतान किया गया। मुख्य सचिव, बिहार सरकार के पत्रांक 6594 दिनांक 26.6.13 के द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि आवंटन उपलब्ध रहने के बावजूद विद्युत विपत्र का समय पर भुगतान नहीं होने के चलते डी0पी0एस0 का भुगतान किया जाना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि तेरहवीं वित्त एवं अन्य मदों के अनुदान में भी विद्युत विपत्र पर भुगतान का प्रावधान था, परन्तु उपर्युक्त व्यय चौदहवीं वित्त आयोग मद से किया गया।

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. डी.पी.एस. मद में राशि रू. 9181.95 भुगतान किये जाने का कारण लेखापरीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।
2. विद्युत विपत्र के लंबित अवंधि में नगर पंचायत के पास भुगतेय राशि थी अथवा नहीं के संबंध में पृच्छा किये जाने पर जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी।

3. भुगतान किये गए सभी विद्युत विपत्रो पर मीटर रीडिंग शून्य दर्शाया गया था। इसके अलावा माह 07/2016 के बिल आई डी ST293011 के विपत्र में बिल रीडिंग में बिल का अंतर –3508 था जो कि अव्यवहारिक है। उपभोग किये गए विद्युत इकाई मीटर रीडिंग के अनुसार स्पष्ट नहीं था जिससे विद्युत उपभोग के वास्तविक आकडे उपलब्ध नहीं थे। इसके बावजूद रू. 454095/– भुगतान का आधार का भी स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था ।

उपर्युक्त आपत्तियो के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि–

1. भविष्य में ससमय भुगतान किया जाएगा।
2. पूर्व में भी विद्युत विभाग को Actual Bill हेतु पत्र भेजा गया था। पुनः पत्र भेजा जाएगा।

उपरोक्त जवाब से स्पष्ट है कि ससमय विद्युत विपत्र के भुगतान नहीं कराने से नगर पंचायत को राशि रू. 9181.95 की हानि हुई। साथ ही वास्तविक विद्युत उपभोग के विरूद्व भुगतान को भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

कंडिका सं–13 बकाया सम्पत्ति कर/मकान कर (राशि रू. 38.52 लाख)

नगर पंचायत, बेलसंड द्वारा लेखापरीक्षा में सम्पति कर से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी प्रस्तुत नहीं की गई। नगर पंचायत द्वारा बकाया सम्पत्ति कर से संबंधित उपलब्ध करायी विवरणी के अनुसार कुल बकाया राशि 3852802 रू थी। वर्षवार स्थिति निम्नलिखित है–

वर्ष	बकाया	हाल	कुल बकाया	वसूल की गई राशि	बकाया राशि
2014–15	5366332	862724	6229056	271072	5957984
2015–16	5957984	862724	6820708	2462353	4358355
2016–17	4358355	862724	5221079	1368277	3852802

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. सम्पत्ति कर की बकाया राशि रू. 3852802/– की वसूली नहीं किये जाने के कारणों से लेखापरीक्षा दल को अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया था।
2. मांग एवं वसूली पंजी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत करने का भी आग्रह किया गया।

उपरोक्त आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि बकाया सम्पत्ति कर वसूली हेतु नोटिस निर्गत किया जाएगा, परन्तु मांग एवं वसूली पंजी अंकेक्षण की समाप्ति तक अंकेक्षण दल के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया।

अत कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय । साथ ही मांग एवं वसूली पंजी संधारित कर अगले लेखापरीक्षा दल के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

कंडिका सं. –14 मोबाईल टावरों पर बकाया (राशि रू. 7.40 लाख)

बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 के नियम 6 के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र अन्तर्गत स्थापित मोबाईल टावरों से पंजीकरण शुल्क के रुप में रू 30000 प्रति टावर तथा वार्षिक नवीकरण शुल्क रू 8000 प्रति टावर प्रतिवर्ष देय है। इसके अलावा, एक ही टावर पर प्रत्येक अतिरिक्त एन्टिना के लिए 60 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क वसूलनीय है। पंजीकरण शुल्क आवेदन की स्वीकृति के तुरंत बाद देय हो जाएगा। अगर पंजीकरण शुल्क पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा। वार्षिक नवीकरण फीस प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय होगा। अगर उस वित्तीय वर्ष का वार्षिक नवीकरण शुल्क 30 अप्रैल तक नहीं प्राप्त होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित एवं देय होगा। बिना रजिस्ट्रेशन एवं नवीकरण शुल्क भुगतान किए तथा बिना नगर पंचायत की अनुमति के संचार टावर स्थापित किया जाना गैरकानूनी (अवैध) माना जाएगा। ऐसे टावर जिस पर पंजीकरण शुल्क और या नवीकरण शुल्क बकाया है, नगर पंचायत को अधिकार है कि टावर को सील कर दे जब तक पूर्ण बकाया राशि तथा उस पर अर्जित ब्याज प्राप्त न हो जाए।

परन्तु, नगर पंचायत, बेलसंड सीतामढी द्वारा अंकेक्षण में मोबाइल टावर की एक विवरणी प्रस्तुत की गयी, जिससे ज्ञात हुआ 7 कम्पनियों के कुल 7 मोबाइल टावर अवस्थित थे। विवरण के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक उनके ऊपर कुल रू 740000.00 बकाया की विवरणी निम्नलिखित थी –

Sl. No.	Total No of Mobile Tower	Registration fee to be realised	Total Registration Amount realized till 31.3.17	Outstanding amount of registration fee (6-7)	Annual fee to be realised	Total amount of annual fee realised till 31.3.17	Outstanding amount (8+9)-(10)
	7	210000	30000	180000	560000	0	740000

लेखापरीक्षा टिप्पणी

मोबाइल टावरों पर कुल बकाया राशि रू 740000.00 के वसूल नहीं किये जाने के कारण से लेखापरीक्षा को अवगत कराने हेतू अनुरोध किया गया। उक्त आपत्ति के आलोक मे कार्यालय के द्वारा यह जवाब दिया गया कि मोबाईल टावर पर बकाया राशि रू. 7.4 लाख वसूली हेतु पूर्व में भी नोटिस दिया गया था। पुनः नोटिस किया जायेगा।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाये जाये ताकि बकाया राशि की वसूली जल्द से जल्द की जा सके एवं सरकारी राजस्व में वृद्धि हो सके।

मोबाइल टावरों पर अवस्थित एडिशनल एंटिना संबंधित संचिका न तो लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया। अतः अनुरोध है कि इससे संबंधित जवाब से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका सं–15 निधियों का अवरोधन (राशि रू. 59.85 लाख)

नगर पंचायत के लेखा अभिलेखों के नमूना जांच में पाया गया कि कई योजनाओं से संबंधित अवशेष राशि रु. 5985258.00 कई वर्षों से बिना किसी व्यय के पड़ी हुई थी। बिहार कोषागार संहिता नियम 300 के तहत कोषागार से राशि आहरित कर बिना प्रयोजन के रोकड़बही में रखना वर्जित है। नियमानुसार व्यय के उपरांत शेष राशि को संबंधित शीर्षों में जमा किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में दुर्विनियोजन, विचलन या किसी भी प्रकार के अनियामेतता से बचा जा सके। विवरण निम्नवत है–

क0 सं0	मद का नाम	राशि	अंतिम आय–व्यय की तिथि
1	राष्ट्रीय गंदी बस्ती	200108	25.4.08
2	स्वर्ण जंयती शहरी रोजगाार योजना	183514	1.1.12
3	12 वां वित	31095	20.20.13
4	आधारभूत संरचना	332254	19.12.14
5	राजस्व	5181368	17.9.14
6	एकादश वित आयोग	56919	14.114
कुल		5985258	

उक्त आपत्ति के आलोक में कार्यालय के द्वारा यह जवाब दिया गया कि निधियों का अवरोधन रू. 59.85 लाख नगर एवं आवास विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर कार्रवाई की जाएगी।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाये जाये एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका सं–16 श्रम उपकर की कटौती नहीं (राशि रू. 0.09 लाख)

भारत सरकार श्रम मंत्रालय के सितम्बर 1996 की अधिसुचना शीर्षक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के तदनुसार बिहार सरकार ने असाधारण गजट अधिसूचना सं 4/एफ 1–302/2006 श्र0 नि0–865 दि0 18.8.08 द्वारा श्रम उपकर लागू किया। इसके अनुसार सभी सरकारी विभागों को निर्माण की